निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द रेगर (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अरनोद

प्रकरण सं. – 13/20

दायरा तारीख – 8-6-20

श्री नन्दा पिता रखिया जाति मीणा नि. फलाड त. अरनोद
(प्रार्थी)

बनाम

1. रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति चमार
2. रमेश चन्द पिता मांगीलाल जाति चमार
3. लक्ष्मीनारायण पिता मांगीलाल जाति चमार
4. मांगी बाई बेवा मांगीलाल जाति चमार
5. गणेश पिता भागीरथ जाति मीणा
6. देऊ बाई पत्नि भागीरथ जाति मीणा
7. कचरू पिता मेघा जाति मीणा
8. बालु पिता मेघा जाति मीणा
9. मन्ना पिता मेघा जाति मीणा
10. रामा पिता मेघा जाति मीणा
11. खातुडी पत्नि मेघा जाति मीणा

सभी नि. फलाड़ अप्रार्थीगण

उपस्थित –

1. श्री नन्द लाल मीणा – अधि. प्रार्थी
2. श्री विमल कुमार मोदी – अधि. अप्रार्थीस 1-4

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा – 251A आर.टी. एक्ट

• निर्णय •

दिनांक – 31-3-21

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते और कब्जे की आराजी ग्राम अरनोद प. ह. अरनोद में खाता सं. 431 आ. नं. 1779 रकबा 1.49 है. स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद.

प्रार्थी और अप्रार्थीगण विगत दो-तीन वर्षों से बाप-दादाओं के समय से आते-जाते है। अप्रार्थीगण ने आ० नं. 1780 व 1896 से गुजर रहे रास्ते मेड व बैलगाड़ी रास्ते को हकाई कर अपनी आराजी में मिलाकर बन्द कर दिया जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है आये-दिन लड़ाई झगड़ा करते है, धमकियां देते है। विपक्षीगण ने रास्ते को बन्द कर दिया है प्रार्थी मेड पर रास्ता ~~[illegible]~~ को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी की आराजी 1779 में जाने का रास्ता विपक्षीगण की आ० नं. 1780, 1896 में से होकर गुजर रहा है जो प्रार्थी कृषि कार्य करने हेतु प्रयोग में लेरहा है। 15-20 दिन पूर्व विपक्षीगण ने रास्ता बन्द कर दिया। तहसीलदार सा. के यहाँ उक्त आराजी पर आने-जाने के रास्ते रोके जाने बाबत् मौका पर्चा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जिसमें विवादित रास्ते आ. नं. 1779 से आ. नं. 1780, 1896 तक जाने वाले रास्ते को बन्द कर दर्शाया है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजा अरनोद की आ. नं. 1779 से आ० नं. 1780, 1896 तक गुजरने वाले रास्ते को पुनः खुलवाये एवं उक्त रास्ते को कृषि कार्य मे उपयोग मे आये ऐसा चौड़ा रास्ता करवाया जावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विमलकुमार मोदी ने जवाब पेश किया। 5 से 11 की ओर से इकतरफा जवाब पेश किया। प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गयी।

अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि हमारी आराजी पर जाने के लिये आ० नं. 1896 जो कि अप्रार्थी 1 लगा 4 की व आ.नं. 1780 जो कि अ.प्रा. सं. 5 लगा. 11 की जाते दारी की है मे से रास्ता जाता है जो कि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नहीं है। रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 लगा० 4 ने बंद कर दिया जिसे खुलवाया जावे, नियमानुसार राशि का भुगतान प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
लगा. [signature]

द्वारा कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में इकरारनामे की प्रति भी पेश की।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 ने अपने साथी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये तर्क दिया कि प्रार्थी ने जो प्रार्थना-पत्र पेश किया जो गलत व विधिसम्मत नहीं है। अपने अनुतोष में प्रार्थना रास्ता खुलवाना चाह रहा है जोकि 251A में श्रवणीय न होकर 251 में है। प्रार्थी ने जो रिपोर्ट 18.5.20 तहसीलदार अरनोद की पेश की है उसमें आराजी सं. 1779 में आने का रास्ता "पूर्व में 1775 में होकर आता जाता था" अंकित है और अब 1896 में से चाहता है" अंकित है। 1775 राजेन्द्र सिंह की आराजी है पूर्व में वहीं से आना-जाना था तो रास्ता वहीं खुलवाया जावे जो कि रिपोर्ट तहसीलदार में भी स्वीकार किया गया। प्रार्थी मात्र हमारी आराजी से ही रास्ता चाह रहा है जबकि शेष आराजी 1781, 1782, 1783, 1962/1783, 1884, 1885 में भी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। उक्त आराजियात के खातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया है। महज हमें परेशान करने की नीयत से प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है। इकरारनामा जो पेश किया उसकी पालना सक्षम न्यायालय से करावें। प्रार्थी रास्ते के नाम पर नाले को बंद करना चाहता जिसके फोटो पेश है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 251 A आर.टी. एक्ट में श्रवणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

मैंने प्रार्थना-पत्र, जवाब प्रार्थना पत्रों, संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों की बहस पर गौर किया।

प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में अंकित किया कि रास्ते को हकाई कर बंद कर दिया है। यही अंकन चरण सं. 3, 4, 5, 6 में भी किया गया है अनुतोष में पुनः रास्ते को खुलवाने तथा

उपखण्ड अधिकारी

चौड़ा करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पूर्व में अपनी आराजी की पूर्वी मेड़ के पास होकर निजि आराजी में से होकर आता जाता है जो वर्तमान में बंद है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। नजरी नक्शे में भी खाता 1780 आराजी का उल्लेख किया है शेष आराजीयात का नहीं है। चरण सं. 2 में अंकन है कि विगत दो-तीन वर्षों से तथा बाप-दादाओं के समय से दोनों में विरोधाभास है जबकि पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पूर्व में (बाप-दादा के समय) अन्य रास्ता था जिस पर नन्दा, कन्हैया लाल, हरिश के इकरारनामा अंकित है। प्रार्थी ने इकरारनामे की जो प्रति पेश की उसमें कहीं पर भी आराजी नम्बर व खातेदार का नाम अंकित नहीं है। प्रार्थी के फोटो से दर्शित है कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि प्राकृतिक बहाव क्षेत्र है।

"राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा-251 A में नये मार्ग, भूमिगत पाइप लाइन बिछाना या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने के प्रावधान है।" जबकि प्रार्थी ने बन्द रास्ते को खुलवाने का अनुतोष चाहा है तथा चौड़ा करवाने का भी।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सक्षम धारा में ग्रहणीय न होने से खारिज है।

प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द
पीठासीन अधिकारी